न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या- 150/2025
वादीगण :-

1. रमजान खां मेहरूखां
2. बाबु खां पुत्र मेहरूखां
3. आमी पुत्री मेहरूखां
4. आसी पुत्री मेहरूखां
5. जुबेदा पुत्री मेहरूखां
6. जिनु पुत्री मेहरूखां जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण ग्राम सिन्धीनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सुबान खां पुत्र नूरखां
2. आलम खां पुत्र नूरखां फौत के कायम मुकाम
   - 2/1 भाई खान पुत्र आलमखां
   - 2/2 सलीम खां पुत्र आलमखां
3. रेहमत खां पुत्र नूरखां फौत के कायम मुकाम
   - 3/1 उमरखां पुत्र रहमत खां
   - 3/2 नेकूखां पुत्र रहमत खां
   - 3/3 फिरोज खां पुत्र रहमत खां
   - 3/4 बशीरखां पुत्र रहमत खां
   - 3/5 सदीक खां पुत्र रहमत खां
   - 3/6 सरीफ खां पुत्र रहमत खां
   - 3/7 अलारी पुत्री रहमत खां
   - 3/8 मैना पत्नी बरकत खां
4. करीम खां हासम खां
5. रफीक खां पुत्र हासम खां
6. मीर खां पुत्र हासम खां
7. गुडडी पुत्री हासमखां
8. भीरा पत्नी हासम खां जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण ग्राम सिन्धीनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–वादी – श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 8– श्री खुशेन्द्र गोयल अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः- 01/12/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम सिन्धीनगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के मूल निवासी है। वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि ग्राम ओलवी, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा न. 24 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा यानि 2.2814 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय की भूमि वादीगण के दादा नूर खां पुत्र बन्दु खां सिन्धी निवासी ढाणी के खातेदारी एवं कब्जासुद की थी। सबूत के रूप में चालु जमाबन्दी खसरा सं. 24 की पेश है। वाद पत्र में आगे के फिकरों में उपरोक्त भूमि को वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादीगण के दादा नूर खां का देहान्त हो चुका है। स्व. नूर खां स्वर्गीय नूरखां के प्रथम श्रेणी के वारिस उक्त वंशवृक्ष के अनुसार पांच पुत्र है। ग्राम ओलवी का खसरा नं. 24 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा भूमि वादीगण के दादा नूरखां पुत्र बन्दुखां की खातेदारी की भूमि रही है। स्व. नूरखां निर्वसीयत फौत हो गये है। स्व. नूरखां के फौत हो जाने पर नूरखां की खातेदारी भूमि उनके पांच पुत्रों यानि अपीलान्ट के पिता मेहरूखां का नाम

प्रतिवादीगण के साथ इन्द्राज होना चाहिये था। उक्त भूमि में स्व. नूरखां के फौत होने पर उनकी खातेदारी भूमि में हक हिस्सा अनुसार भूमि में पांचों पुत्रों का बराबर हिस्सा कानूनन निहित हो चुका था तथा स्व. नूरखां के जायन्दा वारिसान के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का हक व हिस्सा कानून रूप से नहीं बनते है एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त चला आ रहा है। स्वर्गीय नूरखां के फौत हो जाने पर उनकी खातेदारी की उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण उनके सभी वारिसान के नाम स्वीकार किया जाना चाहिये था, जबकि प्रतिवादीगण के पिता मेहरूखां का नाम अन्य भाई रेहमतखां, हासमखां, आलमखां, सुबानखां के साथ स्वीकार किया जाना था। वादीगण, प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 स्वर्गीय नूरखां के प्रथम श्रेणी के वारिसान मौजूद थे परन्तु वादीगण के दादा नूरखां के वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार करते समय वादीगण के पिता मेहरूखां का नाम इन्द्राज किया जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं हो सकी। हाल ही में ग्राम सिन्धीनगर की भूमि को लेकर के आपस में वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में बंटवाडा को लेकर विवाद स्थित होने पर ग्राम ओलवी से सम्बधित भूमि के राजस्व रेकर्ड की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वादीगण के पूर्वज का नाम राजस्व रेकर्ड में प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के बावजूद इन्द्राज नहीं किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज कराने की बात दिनांक 05-10-2025 को करने पर नाराज हो गये व वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी। ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं था। वादीगण के पूर्वज मेहरूखां प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के बावजूद राजस्व रेकर्ड इन्द्राज नहीं करने का राजस्व अधिकारियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। राजस्व अधिकारियों ने जान बूझकर पूर्ण वंशावली की जानकारी किये बगैर वादीगण के पूर्वज का नाम छोड़ते हुए नामान्तरकरण इन्द्राज कर दिया गया। जिसे सुधार करवाने का वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसलिये वादीगण की ओर से वाद घोषणा का पेश है। वादीगण वादग्रस्त भूमि में मौके पर हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कार्य लगातार करते आ रहे है। वादीगण को राजस्व रेकर्ड में अपना नाम नहीं होने की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने की बात कहीं। जिस पर प्रतिवादीगण वादीगण से नाराज हो गये एवं वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण को वादग्रस्त भूमि में प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से प्रतिवादीगण के समान वादीगण का अधिकार कानूनन निहित है। वादीगण शुरू से लेकर वर्तमान तक वादग्रस्त भूमि में हिस्से अनुसार कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रतिवादीगण वादीगण को किसी भी समय वादीगण के हिस्से से बेदखल करने की पर आमादा है। प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से में किसी प्रकार से दखलअंदाजी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से रोका जाना न्यायहित में पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिये वादीगण की ओर से वाद बाबत् स्थाई निषेद्याज्ञा का पेश है। वाद कारण दिनांक 05-10-2025 को जानकारी होने के बाद राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम इन्द्राज कराने की बात कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया मना करने व कब्जा काश्त से बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ जो लगातार जारी है। वाद अन्दर म्याद पेश है।

अन्त में निवेदन है कि डिक्री बहक वादीगण बहक प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के साथ वादीगण को समान हिस्से अनुसार 1६5 हिस्से का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया जावे। डिक्री बहक वादीगण बहक प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे

कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार से स्वयं नौकर, चौकर, हाली एजेन्ट आदि से बेदखल नहीं करे और न ही अन्य से करावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा के वास्ते पाबन्द किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 8 की ओर से श्री खुशेन्द्र गोयल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के राजीनामा अनुसार ग्राम औलवी के खसरा नंबर 24 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा यानि 2.2814 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय में वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ पूर्वजों के हिस्सों अनुसार 1/5 हिस्सा घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में नूर खां के पांच पुत्रों में मेहरूखां का 1/5 हिस्सा, रेहमत खां का 1/5 हिस्सा, हासम खां का 1/5 हिस्सा, आलम खां का 1/5 हिस्सा, सुबान खां का 1/5 हिस्सा अनुसार दर्ज करवाये जावे। राजीनामा अनुसार दोनों पक्षों में सहखातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, पुनः वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित दोनो ही पक्षों को राजीनामा पढकर सुनाया गया, दोनो ही पक्षों ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता मदनलाल चौधरी द्वारा दी गयी तथा प्रतिवादी की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता खुशेन्द्र गोयल द्वारा की गयी। दोनों पक्षों से राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं कोर्ट की भावना से उक्त राजीनामें के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को पूर्व में तस्दीक किया गया। पत्रावली में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। दोनो पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादीगण का दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा में से राजस्व रेकर्ड वादीगण को 1/5 हिस्सा तथा नूर खां के पुत्रों मेहरूखां को 1/5 वां हिस्सा, रेहमत खां का 1/5 हिस्सा, हासम खां का 1/5 हिस्सा, आलम खां का 1/5 हिस्सा, सुबान खां का 1/5 हिस्सा राजीनामा के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फेसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/12/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

रमजान खां — सुबान खां वगैराह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 150/2025

निर्णय **दिनांक :-** 07/11/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 8 की ओर से श्री खुशेन्द्र गोयल अधिवक्ता, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम ओलवी तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 24 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा में से राजस्व रेकर्ड वादीगण को 1/5 हिस्सा तथा नूर खां के पुत्रों मेहरूखां को 1/5 वां हिस्सा, रेहमत खां का 1/5 हिस्सा, हासम खां का 1/5 हिस्सा, आलम खां का 1/5 हिस्सा, सुबान खां का 1/5 हिस्सा राजीनामा के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। पत्रावली फेसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व षरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा